

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या ~~5100~~ 2017/XXVII(8)/09(120)/2017
देहरादून: दिनांक: 29 जून, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं० 06 वर्ष 2017)" की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, साथ में, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) यह दिनांक 22 जून, 2017 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।
2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में;
 - (क) नियम 1 के शीर्षक में शब्द "विस्तार" विलोपित कर दिया जाएगा;
 - (ख) नियम 10 के उपनियम (4) में शब्द "डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित" शब्द "इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित" से प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे;
 - (ग) नियम 13 के उपनियम (4) में शब्द "हस्ताक्षरित" शब्द "इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित" से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा;
 - (घ) नियम 19 के उपनियम (1) के दूसरे परन्तुक में शब्द "उक्त नियम" शब्द, कोष्ठक और अंक "नियम 8 के उपनियम (2)" से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा;
 - (ङ) नियम 21 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा; अर्थात्—

“(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अधिकमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है; या

(ग) अधिनियम की धारा 171 के उपबन्धों या तदधीन बनाए गये नियमों का अधिकमण करता है”;

(घ) नियम 24 में –

उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्

“(3क) जहां उपनियम (2) के खण्ड (ग) में संदर्भित सूचना और विवरण दाखिल करने की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को समान पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है और उक्त अवधि के भीतर उपनियम (3) के अधीन नोटिस जारी नहीं किया गया है रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया मान लिया जाएगा और इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा”;

(छ) नियम 26 के उपनियम (3) शब्द “सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट शब्द “या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से या हस्ताक्षर की किन्हीं अन्य रीति द्वारा सत्यापित या इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित सत्यापन” से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा,

(ज) प्ररूप जीएसटी सीएमपी 04 की सारणी के क्रम संख्या 5 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् –

“5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग

(एक) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता;

(दो) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार;

(तीन) प्रशमन(कम्पोजिशन) उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार;

- (झ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी 07 में, कोष्ठक, शब्द और अंक "[नियम 6(6) देखें]", कोष्ठक, शब्द और अंक "[नियम 6(5) देखें]" से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा;
- (ञ) प्ररूप जीएसटी आरईजी 12 में शब्द और अंक "30 दिनों के भीतर" शब्द और अंक "90 दिनों के भीतर" से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा,
- (ट) प्ररूप जीएसटी आरईजी 25 में—
- (एक) शब्द "अनन्तिम पहचान" अक्षर "जीएसटीआईएन" से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा;
- (दो) शब्द "स्थान" और "राज्य" विलोपित कर दिए जाएंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 510 / 2017 / XXVII(8) / 09(120) / 2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100-100 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4— अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(हीरा सिंह बरोड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ⁽¹⁾5/c/2017/XXVII(8)/9(120)/2017 dated, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No /2017/ XXVII(8)/9(120)/2017
Dehradun :: Dated June, 2017

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2017

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of June, 2017.
2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017,-
 - (a) in rule 1, in the heading, the word “, Extent” shall be omitted;
 - (b) in rule 10, in sub-rule (4), for the words “digitally signed”, the words “duly signed or verified through electronic verification code” shall be substituted;
 - (c) in rule 13, in sub-rule (4), for the words “signed”, the words “duly signed or verified through electronic verification code” shall be substituted;
 - (d) in rule 19, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words “the said rule”, the words, brackets and figures “sub-rule (2) of rule 8” shall be substituted;
 - (e) in rule 21, for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of the Act, or the rules made thereunder; or

(c) violates the provisions of section 171 of the Act or the rules made thereunder.”;

(f) in rule 24,-

after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3A) Where a certificate of registration has not been made available to the applicant on the common portal within a period of fifteen days from the date of the furnishing of information and particulars referred to in clause (c) of sub-rule (2) and no notice has been issued under sub-rule (3) within the said period, the registration shall be deemed to have been granted and the said certificate of registration, duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to the registered person on the common portal.”;

(g) in rule 26, in sub-rule (3), for the words “specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)”, the words “or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the **Commissioner** in this behalf.” shall be substituted;

(h) in Form GST CMP-04, in the table, for serial number 5 and the entries related thereto, the following shall be substituted, namely:-

“5. Category of Registered Person

(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government

(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II

(iii) Any other supplier eligible for composition levy.”;

- (i) in Form GST CMP-07, for the brackets, words and figures “[See rule 6(6)]”, the brackets, words and figures “[See rule 6(5)] shall be substituted;
- (j) in Form GST REG-12, for the words and figures “within 30 days”, the words and figures “within 90 days” shall be substituted;
- (k) In Form REG-25,-
 - (i) for the words and letters, “Provisional ID”, the letters “GSTIN” shall be substituted;
 - (ii) the words “Place” and “<State >” shall be omitted.

By Order

(Amit Singh Negi)
Secretary.